जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 15-07-2021

आज दिनांक 15.07.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 05 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संजय कुमार** के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **श्री अंशुमान मिश्र** के निकट पर्यवेक्षण मे अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम व वांछित अभियुक्त/वारंटियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा आज दिनांक 15.07.2021 को थाना कोतवाली खलीलाबद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 482 / 2021 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 05 अभियुक्तगण 1- रागेन्द्र 2- शैलेष उर्फ शैलेन्द्र 3- लवकुश चौधरी 4- शिवम श्रीवास्तव उर्फ प्रिंस श्रीवास्तव 5- अजय कुमार सोनी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1 – रागेन्द्र चौधरी पुत्र विजयनंदन चौधरी निवासी मंझरिया शुक्ल थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती।

2- शैलेष उर्फ शैलेनद्र पुत्र महेन्द्र पाल निवासी मंझरिया शुक्ल थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती।

3- लवकुश चौधरी पुत्र शिवकुमार चौधरी निवासी उमरी अहरा थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती।

4-शिवम श्रीवास्तव उर्फ प्रिंस श्रीवास्तव पुत्र विषंभर श्रीवास्तव निवासी बंधवा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

5-अजय कुमार सोनी पुत्र स्व0 राजकुमार सोनी निवासी तितौवा चौराहा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः- प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद श्री मनोज कुमार पाण्डेय, हे0का0 विश्वनाथ सिंह, का0 ऋषिकेश यादव, का0 अभिषेक सिंह।

03 राशि गोवंशीय पशु व 01 अदद टाटा मैजिक के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 03 राशि गोवंशीय पशु व 01 अदद टाटा मैजिक के साथ 03 अभियुक्त नाम पता रामअशीष पुत्र जयश्री 2- प्रमोद पाठक पुत्र वंशीधर पाठक 3- बहादुर यादव पुत्र अदालत यादव निवासीगण दियाबाती थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 15.07.2021 को करमाकलां से समय 10.00 बजे गिरफ्तार कर थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 115 / 2021

धारा 3 / 5(ए) / 8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री सदरुल आलमीन, का0 कृष्णनारायन, का0 विनय कुमार, कां0 विनोद कुमार, कां0 गगन मिश्र।

10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 10 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता बाबूराम पुत्र चन्द्रशेखर निवासी भगौसा पासीटोला थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 114 / 2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अमर सिंह, हे0का0 अर्जुन आर्या।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1493 द्वारा दो पक्षों के विवाद को कराया गया शांत – पीआरवी 1493 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत सूफा से इवेन्ट संख्या 00745 से कालर ने दो पक्षों के विवाद में एक व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर तत्काल 08 मिनट में पहुंचकर विवाद को शांत कराकर मारपीट में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल भेजवाया गया तथा प्रतिवादी को पकड़कर विधिक कार्यवाही हेतु थाना बखिरा को सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शांत कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 पुरुषोत्तम राय, मु0आ0 अश्वनी राय, हो0चा0 महेन्द्र यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 269 वाहनो से 252500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 15.07.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 269 वाहनो से 252500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।